FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0035 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/02/2026 12:45 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 05/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:54 बजे **Time To (समय तक):** 16:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/02/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/02/2026 12:45:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 110 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** NOSAR, LAHAWAT JILA PHALODI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KAILASH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ACHALARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2004 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NOSAR, LOHAWAT, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NOSAR, LOHAWAT, फलौदी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARIKISHAN MEENA		पिता:HEERA LAL MEENA	1. BASWA,BASWA,BASWA,DAUS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पूलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार जोधपूर ग्रामीण विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथो कार्यवाही करने बाबत । महोदय, निवेदन हैं कि मै प्रर्थी कैलाश पुत्र श्री अचलाराम जाति जाट उम्र 22 वर्ष गांव नोसर तहसील लोहावट फलोदी का रहने वाला हुं मेरे घर के घरेलु विधुत कनेक्शन मेरे पिता जी श्री अचलाराम जी के नाम से है जिसके खाता संख्या 17160004 व के नम्बर 320718001884 है। माह नवम्बर 2025 का बिजली बिल 80 हजार रूपये आया हुआ है। इससे पूर्व हमारे कनेक्शन का बिल लगभग 1000, 1500 रूपये 100 युनिट तक फ्री है बिल की राशि अधिक आने पर मैने हमारे G.S.S नोसर के लाईनमैन श्री हरिकिशना मीणा को बताया तो उसने यह राशि कम करने के लिए 13000 रूपये की रिश्वत मेरे से मांगी है मै हरिकिशन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं मेरे हरिकिशन से कोई रंजिश नहीं है ना ही कोई लेन देन बकाया है कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांक 30.01.2026 भवदीय प्रार्थी एसडी कैलाश पुत्र अचलाराम जी गांव नोसर थाना मतोडा त.स. लोहावट जिला फिलोदी मो.न. कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस निवेदन है कि दिनांक 30.01.2026 को वक्त 2.54 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष परिवादी श्री कैलाश पुत्र श्री अचलाराम जाति जाट उम्र 22 वर्ष गांव नोसर तहसील लोहावट जिला फलोदी ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश कर दरियाफ्त पर बताया कि मेरे घर के घरेलु विधुत कनेक्शन के माह नवम्बर 2025 का बिजली बिल 80 हजार रूपये आया हुआ है। उक्त बिल की राशि कम करने की एवज में लाईनमैन श्री हरिकिशन मीणा द्वारा 13000 रूपये की रिश्वत मेरे से मांगी जा रही है। मजमून से मामला भ्र.नि.अ. (पी.सी. एक्ट) 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन व अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 30.01.2026 को वक्त 3.35 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने कार्यालय मे उपस्थित श्री रामकिशोर कानि. 13 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामकिशोर कानि. 13 से परिवादी श्री कैलाश का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री कैलाश एवं श्री रामकिशोर कानि. 13 को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी कैलाश व श्री रामकिशोर कानि. 13 के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी श्री कैलाश ने बताया कि आज लाईनमैन श्री हरिकिशन मिलना मुश्किल है आईन्दा श्री हरिकिशन नोसर उपस्थित होने पर मैं आपको सूचित कर दुंगा। जिस पर परिवादी श्री कैलाश को आवश्यक गोपनीयता बरतने एवं संदिग्ध आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमेन की उपस्थिती के बारे में मालुमात होने पर शीघ्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करे ताकि श्री रामकिशोर कानि. को आपके पास भेज कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाई जाने से सम्बन्धी हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 02.02.2026 को वक्त 3.50 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. 13 ने कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज दिनांक 02.02.2026 को वक्त 3.42 पी.एम. पर परिवादी श्री कैलाश के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल पर कालॅ आया तथा परिवादी श्री कैलाश ने मुझे बताया कि श्री हरिकिशन लाईनमैन कल दिनांक 03.02.2026 को लगभग 10 बजे गांव नोसर जी.एस.एस में उपस्थित मिल सकता है। कल दिनांक 03.02.2026 को मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है, आप कल आ जाना मै आपको हरलाया चैराहे पर उपस्थित मिल जाउंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि. रामकिशोर को परिवादी श्री कैलाश एवं आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड कर लाने हेतु कल दिनांक 03.02.2026 को वक्त 7.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 03.02.2026 को वक्त 8.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वायसॅ रिकार्ड निकालकर उसमे नया मेमोरी कार्ड डाल कर उक्त डिजिटल वायसॅ रिकार्डर की मेमोरी एवं नये मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजिटल वायसॅ रिकार्डर श्री रामकिशोर कानि. 13 को सुपुर्द कर परिवादी श्री कैलाश से सम्पर्क कर आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन एवं परिवादी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड कर लाने की हिदायत देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 12.42 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को श्री रामकिशोर कानि. 13 ने अपने मोबाईल फोन से मेरे मोबाईल पर कालॅ कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर जरिये बस हरलाया चोराहे

पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री कैलाश अपनी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिला जिस पर मैने परिवादी श्री कैलाश से संदिग्ध आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन की उपस्थिती के सम्बन्ध में पुछा तो परिवादी श्री कैलाश ने गोपनीय रूप से मालूम कर मुझे बताया कि श्री हरिकिशन लाईनमैन जी.एस.एस. नोसर पर उपस्थित है। जिस पर मैं व परिवादी श्री कैलाश परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर ग्राम नोसर में स्थित जी.एस.एस. से थोडा पहले पहुचे जहा पर परिवादी की मोटरसाईकिल को एक तरफ रूकवाकर मैने कार्यालय का डिजिटल वायसॅ रिकार्डर को चालु कर परिवादी श्री कैलाश के पहने हुए कमीज के सामने की उपर की बांई जेब में डालकर परिवादी कैलाश को श्री हरिकिशन लाईनमैन से वार्ता करने हेतु जी.एस.एस की तरफ परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना कर मैं वही आस-पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री कैलाश मेरे पास उपस्थित आया व डिजिटल वायॅस रिकार्डर अपनी जेब से निकाल कर चालु हालत में मुझे सुपर्द किया जिस पर मैने डिजिटल वायॅस रिकार्डर को स्विच आफॅ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर जी.एस.एस नोसर पहुंचा जंहा पर मुझे श्री हरिकिशन लाईनमेन उपस्थित मिले जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता श्री हरिकिशन लाईनमैन ने मेरे घर के घरेलु विधुत कनेक्शन के माह नवम्बर 2025 का बिजली बिल 80 हजार रूपये के बिजली बिल की राशि कम करने की एवज में 12,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर आईन्दा रिश्वत राशि 12,000/-रूपये लेकर आने हेतु कहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामकिशोर कानि.13 को निर्देशित किया कि परिवादी श्री कैलाश को गोपनीयता बरतने एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो जाने पर सुचित करने की हिदायत देकर वही पर छोडा जाने एवं कार्यालय डिजिटल वायसॅ रिकार्डर लेकर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त 5.20 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. 13 उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजिटल वायसॅ रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड स्विच आफॅ शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर उपरोक्तानुसार हालात निवेदन किये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त कार्यालय के डिजिटल वायसॅ रिकार्डर को चालु कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन द्वारा परिवादी श्री कैलाश से घर के घरेलु विधुत कनेक्शन के माह नवम्बर 2025 का बिजली बिल 80 हजार रूपये के बिजली बिल की राशि कम करने की एवज में 12,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर आईन्दा रिश्वत राशि 12,000/-रूपये लेकर आने हेतु कहा है। श्री हरिकिशन लाईनमैन द्वारा परिवादी श्री कैलाश से दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन 12,000/- रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात डिजिटल वायसॅ रिकार्डर को स्विच आफॅ कर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा आईन्दा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 04.02.2026 को वक्त 05.03 पी.एम पर परिवादी श्री कैलाश के मोबाईल नम्बर से मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री कैलाश ने कालॅ कर बताया कि मेरे पास श्री हरिकिशन लाईनमैन को रिश्वत में दी जाने वाले राशि की व्यवस्था हो गई है तथा श्री हरिकिशन लाईनमैन कल दिनांक 05.02.2026 को जी.एस.एस. नोसर पर उपस्थित मिल सकते है। जिस पर परिवादी कैलाश को कल दिनांक 05.02.2026 को 10 ए.एम पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 12,000/ रूपये अपने साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी कैलाश तथा आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन के मध्य हुई रिश्वत राशि रूबरू मांग सत्यापन वार्ता के बारे में हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये तथा ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यावही हेतु कार्यालय हाजा के श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री कैलाश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अब तक की गई कार्यवाही के समस्त हालात बताये एवं साथ ही कार्यालय का डिजीटल वायसॅ रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी श्री कैलाश तथा आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन के मध्य दिनांक 03.02.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त डिजीटल वायसॅ रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेज सुरक्षित हालात में सम्भलाये जाकर आईन्दा परिवादी श्री कैलाश से सम्पर्क कर तथा स्वतन्त्र गवाहान के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 05.02.2026 को वक्तः 10.35 ए.एम. पर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान कार्यालय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर के नाम से पत्र क्रमाकं 192 दिनांक 05.02.2026 एंवम कार्यालय श्रीमान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर के नाम प़त्र क्रमाक 195 दिनाक 05.02.26 तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री ओमप्रकाश कानि 260 को उक्त पत्र सुपुर्द कर मय सरकारी बोलेरो चालक लालाराम कानि. चालक 638 के रवाना कार्यालय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर किया गया। तत्पश्चात वक्तः 11.35 ए.एम. पर श्री ओमप्रकाश कानि. 260 मय सरकारी बोलेरो चालक लालाराम कानि. चालक 638 उपरोक्त फिकरा के कार्यालय श्रीमान मुख्य वन संरक्षक जोधपुर व कार्यालय मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर गये हुए दो कार्मिकों को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिस पर उक्त दोनों कार्मिको को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो कार्मिकों से उनका बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया जाने पर श्री दयाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति जाट उम्र 30 साल, पैशा नौकरी, निवासी ग्राम गादेरी पुलिस थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर मोबाईल नम्बर व श्री राकेश पुत्र श्री कुशालाराम जाति जाट उम्र 20 साल पैशा नौकरी निवासी ग्राम छापला पुलिस थाना आसोप जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ

सहायक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। वक्तः 1.05 पी.एम. पर परिवादी श्री कैलाश कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस को बताया कि मै आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन को रिश्वति में दी जाने वाली रिश्वत राशि 12,000/रूपये लेकर उपस्थित आया हूं। तत्पश्चात वक्तः 01.20 पी.एम. पर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री कैलाश की रिपोर्ट, कार्यालय का डिजीटल वायसॅ रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री कैलाश को अपने साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया व परिवादी श्री कैलाश की टाईप शुदा लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादी श्री कैलाश से आवश्यक पुछताछ कर कार्यालय का डिजीटल वायसॅ रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी श्री कैलाश तथा आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को सुना गया तो परिवादी के घर के घरेलु विधुत कनेक्शन के माह नवम्बर 2025 का बिजली बिल 80 हजार रूपये के बिजली बिल की राशि कम करने की एवज में 12,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया तथा रिकार्डेड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में एक अन्य व्यक्ति की परिवादी श्री कैलाश से वार्ता होना पाया गया जिसके बारे में परिवादी कैलाष से पूछा गया तो परिवादी श्री कैलाश ने बताया कि दौराने मांग सत्यापन संदिग्ध आरोपी हरिकिशन लाईनमेन से वार्ता के होने के बाद एक अन्य व्यक्ति गोपी से वार्ता हुई जो मेरे गांव का एवं मेरा परिचित है जिसने मेरी बिजली बिल की राशि ज्यादा आने के बारे में पूछा तो मैने बताया कि मेरा बिजली बिल की इतनी राशि का कभी नहीं आया है मेरे 80 हजार रूपये के बिजली बिल आने से परेशान होने पर गोपी से वार्ता की तथा गोपी द्वारा बिजली बिल कम करवाने हेतु सहायता करने की वार्ता की है। रिश्वत राशि की मांग श्री हरिकिशन लाईनमैन द्वारा ही की जा रही है तथा मै रिश्वत राशि श्री हरिकिशन लाईनमैन को ही देना चाहता हूं। अन्य किसी व्यक्ति को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता तथा श्री हरिकिशन लाईनमैन द्वारा मेरे बिजली बिल कम करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लेकर डिजीटल वायसॅ रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्तः 01.30 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय में पूर्व से उपस्थित उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री कैलाश का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री कैलाश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय के डिजिटल वायसॅ रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री कैलाष एवं संदिग्ध आरोपी श्री हरिकिषन लाईनमैन के मध्य हुई दिनांक 03.02.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी कैलाश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ कर तसल्ली कर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्तः 01.45 पी.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री कैलाश पुत्र श्री अचलाराम जाति जाट उम्र 22 वर्ष गांव नोसर तहसील लोहावट जिला फलोदी ने रिश्वत में दिये जाने वाली राशि 12,000/- रूपये जिसमें 500-500 रूपये के कुल 24 नोट प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नंबर निम्नानुसार है-1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4QC 456537, 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8BT 918260, 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5EG 479219, 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9NK 037993, 5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0WH 595942, 6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3HW 453032 , 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6DQ 591665, 8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7PE 356296, 9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7GS 020117, 10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3AP 355904, 11 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2SN 594941, 12 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5NK 414651, 13 500 रूपये का एक नोट नम्बर7GH 686395 , 14 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2TF 270434, 15 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8LH 709051, 16 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8GT 267694, 17 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3AA 415696, 18 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7LB 049535, 19 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2MS 373313, 20 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7QA 612574 , 21 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5HA 392176, 22 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0BW 904215, 23 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3DC 051594, 24 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0TQ 948839 परिवादी द्वारा उक्त प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये। तत्पश्चात मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली उपरोक्त रिश्वती राशि 12,000/-रू. भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुपुर्द कर एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर उक्त सभी नोटो पर श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कैलाश की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री दयाराम से लिरवाई गई तो परिवादी के बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। ताबाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 12,000/- रुपये भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री अचलाराम हैड कानि. 61 से ही परिवादी श्री कैलाश के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की आगे की

बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे उक्त नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल नं. से मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर मिस कालॅ/कालॅ अथवा अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। तत्पश्चात मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री अचलाराम हैड कानि. 61 के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री अचलाराम हैड कानि 61 से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार तथा पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलासे ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री अचलाराम हैड कानि. 61 के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिरवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टाफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् निरीक्षक पुलिस के पास आकस्मिक खर्च के 6150/- रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी में एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत की गई। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी सरकारी फोन में लगे मैमारी कार्ड में श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा एवं भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्ंत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। तत्पश्चात वक्त 2.10 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस अनिल कुमार, श्री महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री राकेश कनिष्ठ सहायक, श्री दयाराम कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री कैलाश एवं ब्यूरो जाब्ता श्री सजय कानि. 587, श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री बचना राम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री श्रवण कुमार कानि. चालक, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड व कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री कैलाश एवं संदिग्ध आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन के मध्य हुई दिनांक 03.02.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर.जे. 14 यू.एल. 5813 मय चालक श्री लालाराम एंवम मन निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से रवाना होकर ग्राम नौसर की तरफ रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त 3.50 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस अनिल कुमार, श्री महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस मय मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री राकेश कनिष्ठ सहायक, श्री दया राम कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री कैलाश एवं ब्यूरो जाब्ता श्री सजय कानि. 587, श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री बचना राम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री श्रवण कुमार कानि. चालक, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री कैलाश एवं संदिग्ध आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन के मध्य हुई दिनांक 03.02.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर.जे. 14 यू.एल. 5813 मय चालक श्री लालाराम एंवम मन निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा ग्राम भीकमकोर से थोडा आगे इन्दो का वोट नोसर फांटा पर पहुंच परिवादी श्री कैलाश को सदिग्ध आरोपी श्री हरिकिशन की लोकेशन पता करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री कैलाश ने

अपने फोन से आरोपी श्री हरिकिशन के मोबाईल पर बात कर बताया कि आरोपी ग्राम नौसर में ही है तथा मुझे ग्राम नौसर में आने का कहा है इसी दरिम्यान परिवादी श्री कैलाश का भाई मोटरसाईकिल लेकर इन्दो का वोट नोसर फांटा पर उपस्थित आया। वक्त 3.55 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस अनिल कुमार द्वारा परिवादी श्री कैलाश, श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को आवश्यक हिदायत कर परिवादी के भाई द्वारा लाई गई मोटरसाईकिल पर ग्राम नौसर की तरफ रवाना किया गया एवं पिछे-पिछे मन निरीक्षक पुलिस, श्री महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस मय मय स्वतन्त्र मौतबिरान श्री राकेश कनिष्ठ सहायक, श्री दया राम कनिष्ठ सहायक, एवं ब्यूरो जाब्ता श्री सजय कानि. 587, श्री बचना राम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री श्रवण कुमार कानि. चालक, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड,व कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री कैलाश एवं संदिग्ध आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन के मध्य हुई दिनांक 03.02.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आर.जे. 14 यू.एल. 5813 मय चालक श्री लालाराम एवं मन निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन के ग्राम भीकमकोर से ग्राम नौसर के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त 4.25 पी.एम. पर मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, श्री महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाब्ता मय परिवादी के उपरोक्त फिकरा का ग्राम भीकमकोर से रवाना होकर ग्राम नौसर पहुंच वाहनो को रोड़ की साईड में गोपनीय रूप से खड़े करवाकर श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी श्री कैलाश को सुपर्द करवाकर परिवादी को पैदल ही संदिग्ध आरोपी श्री हरिकिशन मीणा लाईनमेन से रिश्वत राशि लेन-देन करने हेतु संदिग्ध आरोपी के बताये अनुसार ग्राम नौसर चोराहे की तरफ रवाना किया गया तथा श्री रामकिशोर कानि. 13 एवं श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री भीम सिंह कानि. 446 एवं स्वतंत्र गवाह श्री राकेश को परिवादी के पीछे-पीछे गोपनीयता की आवष्यक हिदायत कर रवाना किया मन् निरीक्षक पुलिस अनिल कुमार, श्री महेष श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस, श्री ओमप्रकाष कनिष्ठ सहायक के मन निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन में गोपनीय इशारे इंतजार में व्यस्त रहा। श्री संजय कानि., बचनाराम कानि. श्री श्रवण कुमार कानि. चालक, श्री लालाराम चालक, दयाराम स्वतंत्र गवाह सरकारी वाहन में गोपनीय इशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। तत्पश्चात वक्त 4.45 पी.एम. पर परिवादी कैलाश पुत्र श्री अचलाराम जाति जाट उम्र 22 वर्श गांव नोसर तहसील लोहावट फलोदी ने पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने हाथ से दो बार आगे से पीछे की और सिर पर हाथ फेर कर किया जिसे मन् निरीक्षक पुलिस व हमरा ब्यूरो जाब्ता द्वारा देखा गया। जिस पर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री दयाराम व श्री राकेश ब्यूरो दल के सदस्य श्री महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस., श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक, श्री श्रवण कानि. चालक 510 मय जरिये सरकारी वाहन चालक लालाराम कानि. चालक 638 एव मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से हमराह लेकर संदिग्ध आरोपी श्री हरिकिशन के परिचित श्री राहुल मीणा के निवास के पास पहुचा तो संदिग्ध आरोपी के परिचित श्री राहुल मीणा के निवास के गेट पर परिवादी श्री केलाश खडा मिला जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को पूर्व मे दिया गया डिजिटल वायस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच आफ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा जाकर डिजिटल वायस रिकार्डर मे रिकार्ड वार्ता का आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान परिवादी ने आरोपी श्री हरिकिशन के परिचित श्री राहुल मीणा के निवास के बाहर खडे हुए एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति ही श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) हैं जिन्होने अभी मेरे से अपने परिचित श्री राहुल मीणा के निवास के बाहर गेट के पास मेरे से मांग कर 12,000 /- रुपये प्राप्त कर, गिनकर अपने पहनी हुई पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हैं। इसी दौरान उक्त व्यक्ति चलता हुआ हमारे पास आया जहां पर मन निरीक्षक पुलिस, मय हमराहियान व परिवादी खडे थे उक्त व्यक्ति के हमारे पास पहुंचने पर उक्त व्यक्ति को रोका जाकर मन निरीक्षक पुलिस, मय दोनो गवाहान व ब्यूरो टीम का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री हरिकिशन मीणा पुत्र श्री हीरालाल मीणा जाति मीणा उम्र 38 साल पेशा नौकरी निवासी ग्राम बसवा तहसील बसवा पुलिस थाना बसवा जिला दौसा हाल तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) 33/11 के.वी. जी. एस.एस नोसर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम मतोडा होना बताया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री केलाश की तरफ ईशारा कर श्री हरिकिशन मीणा को पूछा गया कि आप इसे जानते हो जिस पर श्री हरिकिशन मीणा ने रुबरु गवाहान के बताया कि यह श्री केलाश हैं। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री हरिकिशन मीणा से पूछा गया कि आपने अभी-अभी परिवादी श्री केलाश से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त की हैं तथा श्री केलाश घरेलु बिजली बिल की 80 हजार रूपये की राशि को कम करने से संबंधित कोई कार्य विचाराधीन हैं, के बारे मे पूछने पर श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) ने बताया कि हां मैने अभी मेरे परिचित श्री राहुल मीणा के निवास स्थान के बाहर गेट पर श्री कैलाष से उसके घरेलु बिजली बिल की राशि के लिए 12,000/- रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हैं। श्री जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा पास ही खडे परिवादी श्री केलाश से श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) द्वारा राशि किस बाबत ली गई के बारे में पूछा गया तो परिवादी केलाश ने बताया

कि यह झूठ बोल रहा है श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) ने मेरे घरेलु बिजली बिल की 80 हजार रूपये की राशि कम करने की एवज में रिष्वति राषि के 12,000 रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हैं। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) के दोनो हाथ कलाईयों के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकड़वाया गया। चूकि उक्त स्थान आरोपी हरिकिशन तकनीशियन के परिचित श्री राहुल मीणा निवास स्थान होने से एवं आबाद गांव होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना मतोडा मे करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन को यथा स्थिति में ही सरकारी बोलेरो वाहन में बैठाकर, मन निरीक्षक पुलिस, मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री महेष श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस., श्री संजय कानि. 587., श्री बचनाराम कानि., श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री श्रवण कानि. चालक 510 मय सरकारी बोलेरो चालक लालाराम 638 व मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से आरोपी के परिचित श्री राहुल मीणा के निवास स्थान से रवाना होकर पुलिस थाना मतोडा पहुचा। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा थाना हाजा मे उपस्थित थानाधिकारी श्री अमनाराम को अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना पर करने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात थाना हाजा के थानाधिकारी कक्ष मे पहुच कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुनः तस्सली पूर्वक श्री हरिकिशन तकनीशियन से पूछा गया कि अभी आपने परिवादी केलाश से पैसे लिये थे क्या़ तथा पैसे किस बात के लिये के बारे मे पूछने पर श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) ने बताया कि बिजली बिल के पैसे लिये है, श्री अचलाराम के नाम से बिजली बिल है जिसके मैने अभी श्री केलाश से उसके घरेलु बिजली बिल के लिए 12,000/- रूपये लिये है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा पास ही खडे परिवादी श्री केलाश से श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) द्वारा पैसे किस बाबत लिये गये के बारे में पूछा गया तो परिवादी केलाश ने बताया कि श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) ने मेरे घरेलु बिजली बिल की 80 हजार रूपये की राषि कम करने की एवज में रिष्वति राषि के 12,000/- रूपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हैं। तत्पष्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में दो साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर दोनो गिलास मे पुलिस थाना मतोडा के कैम्पर से पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी धोवन को आधा-आधा दो कांच की साफ षिषियो मे भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया गया। उक्त दूसरी प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी धोवन को भी दो साफ कांच की षिषियो मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश से आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) के पहनी हुई पेन्ट की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 24 नोट कुल 12,000/- रुपये पाये गये। उक्त राशि के अतिरिक्त श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) की उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे ही रिश्वति राशि के अलावा श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम के पास 500-500 रूपये के 59 नोट कुल 29500 रूपये व श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बायी जेब मे 500 रूपये का 1 नोट, 200 रूपये के 23 नोट, 100 रूपये के 2 नोट व 50 रूपये का 2 नोट पाया गया। जिसकी गणना स्वत्रन्त गवाह श्री दयाराम से करवाई गई तो कुल राषि 5400 रूपये होना तथा रिश्वति राशि के अलावा कुल 34900 रूपये अतिरिक्त राशि होना पाई गई। जिसके सम्बन्ध में आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम से पूछा गया तो श्री श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम ने बताया कि कल दिनाक 04.02.2026 को मैं सहायक अभियन्ता कार्यालय मतोडा के स्टाफ श्री प्रवीण ई. एस , श्री धनराज मीणा लाईनमैन मय सरकारी गाडी कैम्पर चालक श्री जितेन्द्र सिंह भाटी के साथ श्रीमति सोहनी पत्नी श्री पूनाराम के नाम से कृषि कनेक्शन निवासी बेन्दा का बेरा बिजलीघर से भोमियाजी फीडर मे 11 के. वी का बिजली का बकाया बिल लगभग 32986 होने से जिसका इन्दाज कार्यालय सहायक अभियन्ता मतोडा से प्राप्त लिस्ट में बकाया होने से हमारे द्वारा कल दिनाक 04.02.2026 को उक्त खातेदार के खेत पर जाकर उसके पुत्र श्री बाबूराम मेघवाल से 29000/- रूपये प्राप्त किये थे। उक्त 29000/- रूपये की राशि जो मेरे पास ही थे। तथा उक्त राशि के अलावा 4600/- रूपये श्री सुनील सब्जी वाला नोसर से प्राप्त किये थे कि श्रीमति सोहनी के बिल में कुछ रूपये कम पड रहे थे तथा उक्त बिल जमा करवाना था जिसकी पैलन्टी लग रही थी जिस पर श्री सुनील सब्जी वाला नोसर को उक्त राशि 4600/- रूपये श्री पूनाराम के पु़त्र श्री बाबूराम से वापस दिलवाने का कहकर लिये थे। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री हरिकिशन

तकनीशियन प्रथम के पास प्राप्त रिश्वति राशि के अलावा प्राप्त अतिरिक्त राशि 34,900/- रूपये के बारे संदिग्ध आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम का जबाब सन्तोशप्रद नहीं होने से रिष्वति राषि 12,000/- रूपये के अलावा प्राप्त अतिरिक्त राशि 34,900/- रूपये कब्जा एसीबी लिये गये। उक्त राशि के अतिरिक्त आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम के पास अन्य कोई राशि, दस्तावेज अथवा अन्य सामान नहीं पाया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री दयाराम को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि 12,000/- रूपये देकर उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त बरामद रिश्वति राशि को एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) के पहनने हेतु एक लाअर की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी के पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर उक्त लाअर पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बाक्स से निकलवाकर पुलिस थाना मतोडा के कैम्पर से साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त साफ पानी से भरी गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी की उक्त पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी धोवन को दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया तथा उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को कपड़े के पैकेट मे डालकर पैकेट पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर पैकेट पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व पैकेट पर मार्क- P अंकित किया गया। परिवादी श्री कैलाश के घरेलु बिजली बिल से सम्बधित आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) के पास किसी प्रकार के दस्तावेज होने का पूछने पर आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) ने बताया कि परिवादी के घरेलु बिजली बिल से सम्बधित कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है। आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस नोसर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम मतोडा से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री हरिकिशन तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस नोसर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम मतोडा द्वारा परिवादी श्री कैलाश से उनके घरेलु बिजली बिल की 80 हजार रूपये की राशि को कम करने की ऐवज में दिनांक 03.02.2026 को परिवादी से, 12,000/- रुपये वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान रिष्वति राशि की मांग करना तथा आज दिनांक 05.02.2026 को वक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान 12,000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग कर प्राप्त करना पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। दौराने फर्द बरामदगी कार्यवाही के श्रीमान पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपरविजन हेतु उपस्थित आये। फर्द बरामदगी कार्यवाही की विडियोग्राफी सरकारी फोन में लगे मैमोरी कार्ड में श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से करवाई गई। तत्पश्चात वक्त 6.00 पी.एम. पर श्रीमान पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण हमराह सुपरविजन में आये हुये बाद फर्द बरामदगी कार्यवाही के पुलिस थाना मतोडा से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को रवाना हुए। वक्त 6.10 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां, पेन्ट का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं वक्त लेन-देन वार्तालाप का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड इत्यादि प्रार्दश एवं ट्रेप बा॰क्स एवं आरोपी श्री हरिकिशन मीणा तकनीशियन प्रथम लाईनमेन को श्री महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस एवं शेष ब्यूरो जाब्ता की निगरानी मे सुपर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश व श्री दयाराम, परिवादी श्री कैलाष तथा ब्यूरो जाब्ता श्री भीम सिंह कानि0 446 मय सरकारी वाहन बोलेरो व चालक श्री लालाराम के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु आरोपी श्री हरिकिशन मीणा के परिचित श्री राहुल मीणा के किराये के मकान नौसर के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त 6.30 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के फिगरा उपरोक्त का रवाना सुदा आरोपी श्री हरिकिशन मीणा के परिचित श्री राहुल मीणा के किराये के मकान ग्राम नौसर पहुंच परिवादी श्री कैलाष की निशोदही से रुबरु गवाहान के फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करना शुरू किया। तत्पष्चात वक्त 07.20 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान राकेश, श्री दयाराम एवं परिवादी श्री कैलाष तथा ब्यूरो जाब्ता श्री भीम सिंह कानि. 446 के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल के अनुसार रिश्वति राशि लेन-देन प्राप्ति स्थल से मन् निरीक्षक पुलिस मय एक श्री महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस दुरी करीब 50 मीटर, श्री रामकिशोर कानि.13 , श्री ओमप्रकाश कानि. 260 एवं स्वतंत्र गवाह श्री राकेश की 50 मीटर, श्री संजय, श्री लालाराम कानि चालक, श्री श्रवण कुमार कानि चालक एवं स्वतंत्र गवाह श्री दयाराम सरकारी वाहन दुरी करीब 300 मीटर पर, श्री भीम सिंह कानि. 100 मीटर की दुरी पर स्थित होना दर्शायी गई है फर्द नक्शा मौका अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट किया गया तथा घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान रोषनी की पूर्ण

व्यवस्था थी। आरोपी श्री हरिकिशन मीणा के स्वयं का किराये का मकान नही होकर उनके परिचित श्री राहुल मीणा का किराये का मकान होने से मकान की खाना तलाशी नही लिये जाने का निर्णय लिया गया ताबाद घटना मौका स्थल से रवाना होकर पुलिस थाना मतोड़ा उपस्थित आया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां, पेन्ट का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं वक्त लेन-देन वार्तालाप का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड इत्यादि प्रार्दश एवं ट्रेप बॉक्स एवं आरोपी श्री हरिकिशन मीणा को स्वंय के जिम्मे लिया गया। तत्पश्चात वक्त 7.40 पी एम. पर मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिसद्वारा आरोपी श्री हरिकिशन पुत्र श्री हीरा लाल जाति मीणा उम्र 37 वर्श निवासी बसवा जिला दौसा हाल तकनीशयन प्रथम ग्राम नौसर सहायक अभियंता कार्यालय मतोड़ा जिला फलोदी डिस्कॉम जोधपुर को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्त 10.40 पी एम. पर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री ओमप्रकाष कनिष्ठ सहायक, मय ट्रेपकार्यवाही में गिरफतार सुदा आरोपी श्री हरिकिशन मीणा तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) मय सरकारी वाहन चालक लालाराम 638 के आरोपी श्री हरिकिशन मीणा तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) का जिला अस्पताल पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुडी आयुक्तालय जोधपुर में बन्द हवालात करवाने की तेहरीर देकर हिदायत कर रवाना किया गया। तथा मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री दयाराम व श्री राकेष व परिवादी श्री कैलाष एवं ब्यूरो दल के सदस्य श्री महेष श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस., श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री श्रवण कानि. चालक 510 मय मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन के ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री हरिकिशन मीणा तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) के दोनो हाथो एवं उनके पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क RH-1, RH-2 LH-1, LH-2, P-1, P-2 एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क- P एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 12,000/- रुपये व आरोपी की जामा तलाषी में मिली रिश्वती राशि के अलावा अतिरिक्त राशि 34,900/- रूपये एवं ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वा ॅयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री कैलाष एवं संदिग्ध आरोपी श्री हरिषंकर लाईनमैन के मध्य हुई दिनांक 03.02.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर निजी वाहनो से पुलिस थाना मतोडा से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण को रवाना हुआ। दिनांकः-06.02.2026 को वक्तः 12.30 ए.एम पर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री दयाराम व श्री राकेष व परिवादी श्री कैलाष एवं ब्यूरो दल के सदस्य श्री महेष श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस., श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री श्रवण कानि. चालक 510 मय निजी वाहनो के मय जब्त शुदा आर्टिकल व टेªप सामग्री के फिकरा उपरोक्त का पुलिस थाना मतोडा से रवाना सुदा कार्यालय हाजा पहुंच प्रकरण हाजा से संबंधित मालखाना आईटम क्रमंशः आरोपी श्री हरिकिषन मीणा तकनीशियन प्रथम के दोनो हाथो एवं उनके पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क RH-1, RH-2 LH-1, LH-2, P-1, P-2 एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क- P, आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 12,000/- रुपये, व आरोपी की जामा तलाशी में मिली रिश्वती राशिके अलावा अतिरिक्त राशि 34,900/- रूपये मालखाना एल.सी. श्री बलराम कानि. 252 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्ट्रर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री कैलाश एवं संदिग्ध आरोपी श्री हरिकिशन लाईनमैन के मध्य हुई दिनांक 03.02.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिका ॅर्ड है उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्डो को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अलमारी में रखकर अलमारी को लॉक किया जाकर अलमारी की चाबी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास रखी गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री कैलाश को कार्यालय हाजा पर ही आराम करने एव दोनों स्वतंत्र गवाहन को कल दिनांक 06.02.2026 को 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात वक्तः 1.25 पी.एम पर श्री संजय कानि. 587, बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक मय सरकारी बोलेरो चालक लालाराम 638 के उपस्थित आये एवं आरोपी श्री हरिकिशन मीणा तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस थाना कुडी में हवालात में जमा करने की आमद/रवानगी रपट मन निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की जो शामिल रंनिंग नोट की गई। तत्पश्चात समस्त जाब्ते कल दिनांक 06.02.2026 को 9.00 एएम पर उपस्थित होने की हिदायत की गई। तत्पष्चात वक्तः-11.00 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द सुदा स्वतंत्र गवाह श्री दयाराम कनिष्ठ सहायक व श्री राकेश कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा परिवादी श्री कैलाश एवं ब्यूरो जाब्ता पूर्व से ही कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। तत्पश्चात वक्तः- 12.00 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री कैलाश पुत्र श्री अचलाराम उम्र-22 वर्ष जाति-जाट निवासी नोसर, तहसील लोहावट जिला फलोदी एवं आरोपी श्री हरिकिशन मीणा पुत्र श्री हीरालाल मीणा जाति मीणा उम्र 38 साल पेशा नौकरी

निवासी ग्राम बसवा तहसील बसवा पुलिस थाना बस्वा जिला दौसा हाल तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) 33/11 के.वी. जी. एस.एस नोसर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम मतोडा के मध्य दिनांक 03.02.2026 को हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा से निकालकर रूबरू गवाहान व परिवादी के उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप् के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर शब्द-बशब्द श्री रामकिशोर कानि. 13 की सहायता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री हरिकिशन मीणा तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) की तथा परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री कैलाश द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वा ॅयस रिका ॅर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता की श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय के लेप-टॉप मे कॉपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टॉप की मदद से दो अन्य 04 जीबी का मैमोरी कार्ड तैयार करवाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यु निकाली जाकर फर्द ट्रासक्रिप्ट मे अंकित की गई। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी श्री कैलाष के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप के उक्त शील्डसुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं दो डब मैमोरी कार्ड को मालखाना एल.सी. श्री बलराम कानि. 260 को सुर्पद कर मालखाना रजिस्ट्रर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात वक्तः 01.00 पी.एम मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री कैलाश पुत्र श्री अचलाराम उम्र-22 वर्ष जाति-जाट निवासी नोसर, तहसील लोहावट जिला फलोदी एवं आरोपी श्री हरिकिशन मीणा पुत्र श्री हीरालाल मीणा जाति मीणा उम्र 38 साल पेशा नौकरी निवासी ग्राम बसवा तहसील बसवा पुलिस थाना बस्वा जिला दौसा हाल तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस नोसर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम मतोडा के मध्य दिनांक 05.02.2026 को हुई रिश्वती राशि वक्त लेन देन रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी । उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा से निकालकर रूबरू गवाहान व परिवादी के उक्त डिजिटल वा ॅयस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर शब्द-बशब्द श्री रामकिशोर कानि. 13 की सहायता से रिश्वत राशि वक्त लेन देन रूबरू वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री हरिकिशन मीणा तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) की तथा परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री कैलाष द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता की श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय के लेप-टॉप मे कॉपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टॉप् की मदद से दो अन्य 04 जीबी का मैमोरी कार्ड तैयार करवाया गया। उक्त दोनो मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वत राशि वक्त लेन देन रूबरू वार्तालाप 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यु निकाली जाकर फर्द ट्रासक्रिप्ट मे अंकित की गई। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी श्री कैलाष के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वती राशि वक्त लेन देन रूबरू वार्तालाप के उक्त शील्डसुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं दो डब मैमोरी कार्ड खुली हालात में मालखाना एल.सी. श्री बलराम कानि. 260 को सुर्पद कर मालखाना रजिस्ट्रर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात वक्तः 3.30 पी.एम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी कैलाश एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री दयाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री राकेश कनिष्ठ सहायक को बाद गोपनीय कार्यवाही के रूखसत किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री हरिकिशन मीणा पुत्र श्री हीरालाल मीणा जाति मीणा उम्र 38 साल पेशा नौकरी निवासी ग्राम बस्वा तहसील बसवा पुलिस थाना बसवा जिला दौसा हाल तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) 33/11 के.वी. जी. एस.एस नोसर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम मतोडा द्वारा दिनांक 03.02.2026 को दौराने मांग सत्यापन परिवादी श्री कैलाश के घरेलु बिजली बिल की 80 हजार रूपये की राषि को कम करने की एवज में आरोपी हरिकिषन मीणा द्वारा 12,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 05.02.2026 को आरोपी श्री हरिकिशन मीणा द्वारा परिवादी श्री कैलाश से 12,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की

पीछे की दाहिनी जेब मे रखना जहां से रुबरु गवाहान के उक्त रिश्वती राशि 12,000/- रुपये बरामद होना एवं आरोपी श्री हरिकिशन मीणा तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस नोसर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम मतोडा के दोनो हाथो के अंगूलियों/अंगुष्ठ के लिये गये धोवनो का रंग क्रमशः हल्का गुलाबी एवं गुलाबी आना, रिश्वति राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब का लिया गया धोवन गुलाबी होना पाया गया। इस तरह आरोपी श्री हरिकिशन मीणा तकनीशियन प्रथम (लाईनमैन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस नोसर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम मतोडा का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है।(अनिल कुमार) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिल कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हरिकिशन मीणा पुत्र श्री हीरालाल मीणा जाति मीणा उम्र 38 साल पेशा नौकरी निवासी ग्राम बसवा तहसील बसवा पुलिस थाना बसवा जिला दौसा हाल तकनीषियन प्रथम (लाईनमैन)33/11 के.वी. जी.एस.एस नोसर कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्कॉम मतोडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मनीष चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 96 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 192-95 दिनांक 07.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- अधीक्षण अभियंता,(प.व.स.) जोधपुर डिस्कॉम, फलोदी (प्लाट नम्बर 5,सेक्टर नम्बर 4,आर्दश नगर, एन.के. सिनेमा के पीछे, फलोदी, राजस्थान,342301, 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANISH CHAUDHARY **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/02/2026 12:51:58

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)